संख्या-44/20151228ए/71-2-15-के0जी0एम0यू0-9/2015

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा अन्य आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या-1106/लेखा/15 दिनांक 08-4-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0 लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित पूर्ण धनराशि रू0 215,00,00,000/- (रूपया दो सौ पन्द्रह करोड़ मात्र) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 63,00,00,000/- के सापेक्ष रू0 31,50,00,000/- (रूपया इकतीस करोड़ पचास लाख मात्र) तथा आयोजनागत पक्ष में 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित पूर्ण धनराशि रू0 21,66,73,000/- (रूपया इक्कीस करोड़ छाछठ लाख तिहतर हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद हेतु स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार तथा मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक मास में आहरण, आवश्यकतानुसार एवं व्यय, नियमानुसार किया जायेगा।

3- धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-44/20151228ए(1)/71-2-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in